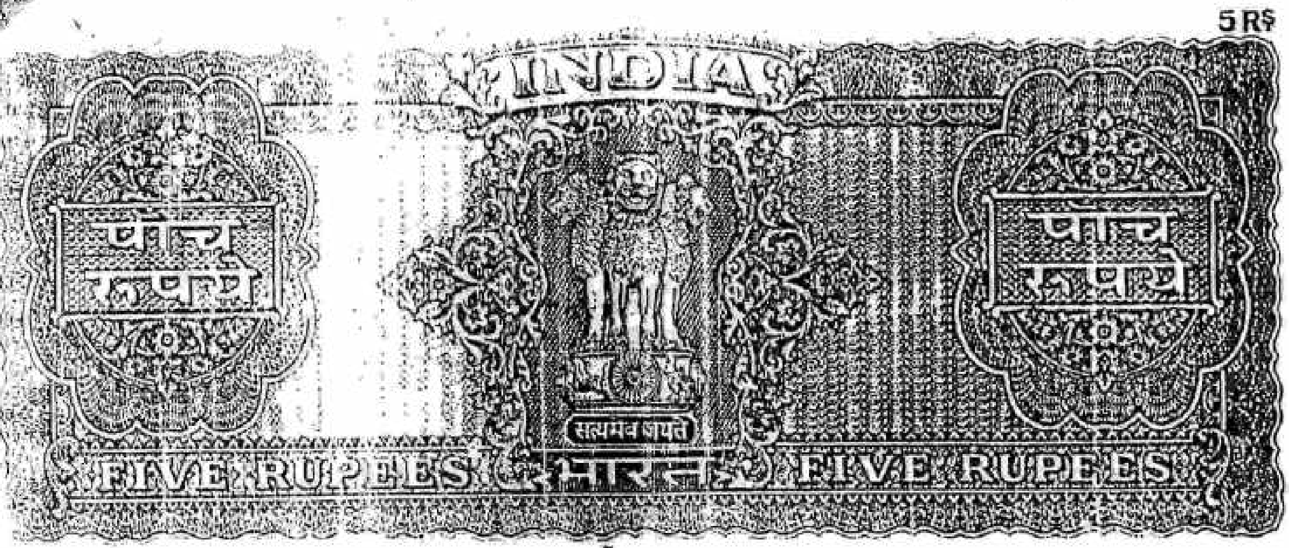

Chairman
…ash International School
…wan Tola, Kishanpura
…ist.- Gaya (Bihar)

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishanpura
Dist.- Gaya (Bihar)

आम सभा का प्रस्ताव
========================

आज दिनांक- 10.03.2002 को " नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी " की आमसभा की बैठक अध्यक्ष- श्री अगमी सिंह अकेला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें संस्था निबंधन पर विचार-विमर्श किया गया ।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि " नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी " का निबंधन संस्था अधिनियम-21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय ।

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार सचिव- श्री उपेन्द्र कुमार को सौंपा जाय ।

ह0/- अध्यक्ष

......

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

11/9/03

अध्यक्ष

Upendra Kumar

सचिव

Upendra Kumar

Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola, Kishanpura
Dist.- Gaya (Bihar)

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishanpura
Dist.- Gaya (Bihar)

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी "गया"

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम- "नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी "गया"

2. कार्यालय- इस संस्था का कार्यालय-डा० किशोरी मोहन कम्पलेक्स नियर चन्दौती मोड़, पो०-चन्दौती, थाना-रामपुर जिला-गया (बिहार) होगा।

अ. कार्यालय स्थान परिवर्तन होने पर सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य विभागों को दे दी जायेगी।

3. कार्यक्षेत्र- इस संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

4. उद्देश्य- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

क) समाज में व्याप्त निरक्षरता, अशिक्षा, अज्ञानता के निवारण हेतु विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करना शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ख) गरीब, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना एवं आगे बढ़ने में मदद हर संभव मदद करना।

ग) पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं मुद्रण करना।

घ) समाज के सभी वर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्थापना और संचालन करना। परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार कर परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना।

ङ) महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, पालनागृह, स्वयं सहायता समूह का गठन, महिला मंडल की स्थापना और संचालन करना।

च) पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। पशु एवं अन्य प्राणियों के रक्षार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना।

Upendra Kumar
Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola, Kish...
Dist.- Gaya (B...

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kish...

छ) उर्जा के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना एवं उर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

ज) अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था करना।

झ) बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना।

ट) महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ठ) समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना।

ड) शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को हस्तकला, टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ढ) कृषि के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना। बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

ण) विकलांगों को कृत्रिम अंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना।

त) बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ एवं अन्य आकस्मिक आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्यक्रमों का संचालन करना।

थ) अशिक्षा, दुरुपयोग, नशाखोरी, जुआ खेलना, बाल-विवाह, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

द) उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

ध) लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

न) देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना हेतु लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

Upendra Kumar

Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola, Kishanganj

Sanjay Giri

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishanganj
Dist.- Gaya (B)

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, संगठन के स्मृति-पत्र के अनुसार संस्था अधिनियम-21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं :-

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री आपदी सिंहासेना पिता-श्री प्रिय जतन सिंह	ग्राम- शारदापुर, मनेर, जिला- पटना।	समाजसेवा	Lakolg
2.	श्री उपेन्द्र कुमार पिता-स्व0 केदार राय	ग्राम-पो0- चन्दौती, जिला- गया।	समाजसेवा	Upendra Kuma
3.	श्रीमती कुमार देवी पति-श्री राम प्यारे यादव	बिहार चन्दौती मोड़, पो0-चन्दौती, जिला-गया।	समाजसेवा	फुलमा देवी
4.	श्रीमती मंजु देवी पति-श्री विरेन्द्र कुमार	ग्राम-पो0- चन्दौती, जिला- गया।	समाजसेवा	मंजु देवी
5.	श्रीमन् नारायण पिता-श्री किशोरी शर्मा	रघुनाथनगर, चन्दौती मोड़, जिला-गया।	अभियन्ता	श्रीमन नारायण
6.	श्री मुन्ना कुमार पिता-स्व0 केदार यादव	मगध कॉलोनी, गया।	समाजसेवा	मुन्ना कुमार
7.	श्री अजय कुमार पिता-श्री मुरारी प्रसाद यादव	ग्राम-पो0- चन्दौती, जिला- गया।	समाजसेवा	अजय कुमार

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

हस्ताक्षर :- [signature] 13/9/03

नाम :- गुलेन्द्र सिंह

पदनाम :- प्रधानाध्यापक

पता :- उच्च विद्यालय चन्दौती, गया

Headmaster
High School Chandauti, Gaya

यह सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित है।

Upendra Kumar
Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola Kishan...

[signature]
Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishan...

4. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
श्री अशर्फी सिंह अकेला पिता-श्री शिव जतन सिंह	ग्राम-शादीपुर, मनेर, जिला- पटना ।	समाजसेवा	अध्यक्ष
श्री उपेन्द्र कुमार पिता-स्व0 केदार राय	ग्राम-पो0- चन्दौती, जिला- गया ।	समाजसेवा	सचिव
श्रीमती फुलवा देवी पति- श्री राम प्यारे यादव	नियर चन्दौती मोड़, पो0-चन्दौती, जिला-गया ।	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
श्रीमती मंजु देवी पति-श्री विरेन्द्र कुमार	ग्राम-पो0- चन्दौती, जिला-गया ।	समाजसेवा	सदस्य
श्रीमन् नारायण पिता-श्री किशोरी शर्मा	रघुनाथनगर, चन्दौती मोड, जिला-गया ।	समाजसेवा	सदस्य
श्री मुन्ना कुमार पिता-स्व0 केशा यादव	मगध कॉलोनी, जिला-गया ।	समाजसेवा	सदस्य
श्री अरूण कुमार पिता-श्री मुरारी प्रसाद शर्मा	ग्राम-पो0- चन्दौती जिला- गया ।	समाजसेवा	सदस्य

= = = = = = = = = =

Upendra Kumar

Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola, Kishanpura
Dist.- Gaya (Bihar)

Sangeeta

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishanpura
Dist.- Gaya (Bihar)

"नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी गया"

का

नियमावली

1. संस्था का नाम- "नेताजी सुभाषचन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी गया

2. परिभाषा-

क) संस्था से अभिप्राय है- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एजुकेशनल सोसायटी गया
ख) समिति से अभिप्राय है- संस्था की कार्यकारिणी समिति।
ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।
घ) एक्ट से अभिप्राय है- सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-21, 1860
ङ) वर्ष से अभिप्राय है- 1ली अप्रील से 31 मार्च तक।

3. सदस्यता-

कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 1/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 12/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा

4. सदस्यता से विमुक्ति-

निम्नलिखित परिस्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी-
क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।
ख) पागल या मृत्यु होने पर।
ग) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
घ) लगातार तीन बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर।
ङ) वर्ष के अन्त तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
च) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन-

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगे।
ख) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों [illegible] आम सभा के द्वारा किया जायेगा।

Chairman
Subhash International School
Aurawan Tola, Kish[illegible]

Secretary
Subhash International School
Aurawan Tola Kishan[illegible]

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्य काल 5 वर्षों का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

घ) यदि किसी कार्यकारिणी समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे । जिस पद के लिए उनका चुनाव किया गया हो।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य–

अध्यक्ष–

क) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव–

क) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

ख) संस्था की प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।

ग) आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं पारित करना।

घ) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना।

ङ) पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना।

च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी पर अंकित करना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

छ) कार्यकारिणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना।

ज) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

Chairman
...h International
...wan Tola, Kish...
...- Gaya (Bihar)

कोषाध्यक्ष–

क) आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं ...

Secretary
Subhash International School.
... K...

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्य काल 5 वर्षों का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे । जिस पद के लिए उनका चुनाव किया गया हो।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य-

अध्यक्ष-

क) संस्था का प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव-

क) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

ख) संस्था का प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।

ग) आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं पारित करना।

घ) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना।

ड॰) पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना।

च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी पर अंकित करना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

छ) कार्यकारिणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना।

ज) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

Upendra Kumar
Chairman
...h International ...
...wan Tola, Kish...
...t. Gaya (Bihar)

कोषाध्यक्ष-

क) आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं ...

Secretary
Subhash International School, Kishunpur ...

11. कोरम (गणपूर्ति)-

प्रत्येक बैठक का कोरम उसके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी।

12. बैठक की सूचना-

क) आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

ख) आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

ग) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

घ) कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जायेगी।

ङ) बैठक की सूचना, सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जायेगी।

13. आय का स्रोत-

क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।

ख) सरकारी, गैर सरकारी दान, अनुदान, सहायता।

ग) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से।

14. कोष का संचालन-

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

15. निधि का अंकेक्षण-

क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से, वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

ख) निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी।

Upendra Kumar

Chairman, Subhash International School, ...wan Tola, Kishanganj, Dist. Gaya (Bihar)

16. पंजी का निरीक्षण-

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य संस्था की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

Subhash International School

17. नियमावली में संशोधन-

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

18. कानूनी कार्रवाई-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था-

क) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम-1860 के धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग) विघटन के उपरान्त जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी, बल्कि आम सभा सहमति से समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

* * * * * * * * * *

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

[illegible]	[illegible]	Upendra Kumar
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

प्रमाणित किया जाता है कि यह मूल प्रति की हू-ब-हू प्रति है ।

Upendra Kumar

[illegible]	Chairman [illegible]h International School [illegible]wan Tola, Kish[illegible] Dist.- Gaya (Bihar)	Upendra Kumar सचिव Secretary Subhash International School Au[illegible]wan Tola Kis[illegible] Dist.- Gaya (Bi[illegible])
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	

11/9/0[illegible]